



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-106

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 270600 दिनांक 08/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	MAHENDRA KUMAR GANGWAL HUF KARTA Rahul Gangwal S/o MAHENDRA KUMAR GANGWAL	श्री महेन्द्र कुमार गंगवाल एच.यू.एफ.कर्ता ता महेन्द्र कुमार गंगवाल पुत्र स्व. श्री माणक चन्द गंगवाल	131	595.89 SQ. YARD	Private	GREEN PARK Sector/Block-	Name Transfer	निजी खातेदारी योजना ग्रीनपार्क के भूखण्ड संख्या 131 क्षेत्रफल 500 वर्ग गज की लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड पट्टा विलेख श्री महेन्द्र कुमार गंगवाल एच.यू.एफ.कर्ता महेन्द्र कुमार गंगवाल पुत्र स्व. श्री माणक चन्द गंगवाल के नाम से दिनांक 12.02.2024 को जारी की गई थी। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का जोन कार्यालय द्वारा दिनांक 26.11.2025 को क्षेत्रफल 595.89 वर्ग गज करते हुए संशोधित लीजडीड जारी की गयी है। दिनांक 21.07.2025 को महेन्द्र कुमार गंगवाल का निधन हो गया है। सजरा



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

अनुसार इनके वारिसान निम्नानुसार है:- 1 कुसुम गंगवाल, पत्नी 2. राहुल गंगवाल, पुत्र 3. विनीत गंगवाल पुत्र। आवेदक महेन्द्र कुमार गंगवाल एचयूएफ कर्ता श्री राहुल गंगवाल द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट संलग्न कर नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपति online सबमिट करें, अन्यथा आपति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. MAHENDRA KUMAR GANGWAL HUF KARTA Rahul Gangwal S/o MAHENDRA KUMAR GANGWAL को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |